बेरोजगारी भत्ता योजना

अविभाजित मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना दिनांक 2–10–1995 से प्रारंभ की गई थी। योजना का मुख्य उददेश्य शिक्षित बेरोजगारों को अंतरिम अवधि में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके उनके लिए स्वरोजगार/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना है, जिससे कि प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में 500.00 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है, स्थानीय निकायों जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों) के माध्यम से संचालित इस योजना में जिला रोजगार कार्यालय नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय निकायों को बजट आबंटन के साथ–साथ आवेदकों के पंजीयन संबंधी पात्रता निर्धारण का कार्य जिला रोजगार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता हेतु अनिवार्य अहर्ता :–

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
2. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।
3. आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन विगत दो वर्षों से जीवित रहा हो।
4. आवेदक उच्चतर माध्यमिक या उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सर्वेसूची में सम्मिलित हो।
6. आवेदक की स्वतः की आय का कोई स्त्रोत न हो व पिता/पालक पर पूर्णतः आश्रित हो।

चयन प्रकिया :

(क) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्र, आय संबंधी प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।

(ख) बेरोजगारी भत्ता प्रथमतः एक वर्ष के लिये रूपये 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जावेगा। यदि इस अवधि में आवेदक/आवेदिका अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो यह भत्ता स्वमेव समाप्त हो जावेगा। यदि इस अवधि में आवेदक/आवेदिका का शासन की रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु अवसर दिया जाता है जिसे वह मना करता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान बंद कर दिया जावेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर यदि आवेदक/आवेदिका को भत्ते की आवश्यकता होती है तो उसका नवीनीकरण करने हेतु समिति के समक्ष पुनः उपस्थित होना पड़ेगा। इच्छुक आवेदक/आवेदिकाओं द्वारा विज्ञापन के साथ मुद्रित आवेदन पत्र में भी आवेदन पत्र भरकर प्रेषित किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

(क) आवेदन पत्र जो प्रारूप –'अ' में होगा, के साथ दो पोस्ट कार्ड/स्टाम्प युक्त लिफाफे संलग्न किये जावें, जिस पर स्वंय का पता अंकित हो।

(ख) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता तथा शहरी या ग्रामीण विकास अभिकरण की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सर्वे सूची के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत/ अध्यक्ष, नगरीय संस्था से आय संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रारूप–'ब' में संलग्न की जावे।

(ग) आवेदकों को प्रशिक्षण/स्वरोजगार/बेरोजगारी भत्ता संबंधी अनुशंसा, इस हेतु गठित समिति द्वारा की जावेगी। आवेदक को विकासखंड/नगरीय संस्था के कार्यालय में समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की सूचना पृथक से दी जावेगी।

शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या :–

वर्ष	प्राप्त बजट आबंटन	व्यय	लाभान्वित आवेदकों की संख्या
1	2	3	4
04–05	5,95,15,000	5,39,16,000	12726
05–06	6,12,65,000	6,08,42,000	12054
06–07	7,16,76,000	6,64,88,000	13501
07–08	7,36,70,000	5,99,53,000	10844
08–09	7,87,70,000	5,67,74,000	11177
09–10	8,35,50,000	5,60,18,000	10525